न्यायालय भू- अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- रोहित कुमार R.A.S.

राजस्व प्रकरण सं. 641/2019

प्रार्थीगण ब नाम विप्रार्थीगण

1. भंवरीदेवी पत्नी हेमाराम 2. दिलीप कुमार पुत्र हेमाराम 3. कंचन पुत्री हेमाराम जातियान जाट सभी निवासीयान समदड़ी रोड़ बालोतरा

1 ओमप्रकाश गोदपुत्र किरतुरसिंह राजपुरोहित नि. बालोतरा 2. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 रा.भु.रा. अधिनियम 1956

हेतु तरमीम दुरस्त करने

आदेश दिनांक: 19.09.2019

उपस्थित :-

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्राथीगण की ओर से

श्री कैलाश महेश्वरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, आर.एल.आर एक्ट का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है, सरहद मौजा जेरला पटवार हल्का रामसीन में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 के खातेदारी का खेत मुल खसरा सं. 113 स्थित रहा, उक्त भूमि में से प्रार्थीगण ने अपनी निजी जायज जरूरत के लिये तत्समय के खातेदार से 16.04 बीघा भुमि खरीद की, उक्त खरीदसुदा 16.04 बीघा जो प्रार्थीगण के नाम की है, उसके खसरा सं. 666/113 है, तथा विप्रार्थी के खातेदारी के खसरा सं. 667/113 है, वर्तमान प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के मध्य मात्र विप्रार्थी सं. 01 के खातेदारी कृषि भुमि खसरा सं. 667/113 के नक्शा लट्ठा ट्रेस में जमाबन्दी खतोनी के रकबा 16.04 बीघा से 02 बीघा भुमि त्रुटिवश ज्यादा दर्ज कर दी गई, तथा तरमीम वर्तमान कब्जे के विपरित होने के संबंध में है। मूल खसरा सं. 113 में से बटटा नम्बर अंकित होकर तरमीमी रूप से वर्तमान में बने प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा सं. 666/113 का रकबा 16.04 बीघा है, तथा खसरा सं. 667/113 का खातेदार विप्रार्थी सं. 1 है, व उनका कब्जा काश्त भी 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर ही है, प्रार्थीगण ने विप्रार्थी सं. 01 को उक्त त्रुटि सहमति से दुरस्त कराने का निवेदन किया, किन्तु विप्रार्थी सं. 01 सहमत नही हुआ, जिससे वर्तमान प्रकरण पेश किया है। विधि अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार ही नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम दर्ज अंकित किया जाना आवश्यक है। यानि दोनो का रकबा समान होना चाहिये। माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थी सं. 1 ने न्यायालय में जबाव प्रस्तुत कर अनापत्ति जाहीर कर उक्त त्रुटि को दुरस्त करने में सहमति जाहिर की, तथा इस सम्बन्ध में विप्रार्थी सं. 02 से मौके एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही, जो कमांक/भु.अ./2019/2703 दिनांक 31.07.2019 को जारी होकर दिनांक 01.08.2019 को प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार खातेदारान का कब्जा वर्तमान तरमीम अनुसार नही होना पाया गया, तथा रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा प्रस्तुत कर तरमीम दुरस्त करने की अनुशंषा की गई।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी, पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेज, तथा तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट को अवलोकन व अध्ययन किया। जिसमें उक्त तथ्य सामने

....2..

कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

आया कि रेकर्ड में की गई तरमीम मौके पर पक्षकारान का कब्जे से भिन्न है, विधिनुसार जमाबन्दी खतोनी व नक्शे का रकबा समान होना चाहिये, वर्तमान प्रकरण में विप्रार्थी सं. 01 की खतौनी एवं मौके पर कब्जाकाश्त का रकबा 16 बीघा 04 विस्वा है, जबकि लटटा ट्रेस में जो तरमीम करवायी गई है, उसका क्षेत्रफल 18 बीघा 04 विस्वा बनता है, जो मुल खतौनी व कब्जे से 02 बीघा भूमि अधिक है, जिसे दुरस्त करना न्यायसंगत प्रतीत होता है, ताकि रेकर्ड में दर्ज त्रुटि को दुरस्त किया जा सके ।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता हैं, कि सरहद मौजा जेरला पटवार क्षेत्र रामसीन मे स्थित खसरा सं. मूल 113 में विप्रार्थी सं. 01 के खातेदारी के खसरा सं. 667/113 रकबा 16.04 बीघा एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा सं. 666/113 रकबा 16.04 बीघा की राजस्व रेकर्ड़ नक्शा लट्‌ठा ट्रेस में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द क्रमांक/भु.अ./2019/2703 दिनांक 31.07.2019 के संलग्न नक्शा अनुसार दुरस्ती की जावे । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

आदेश आज खुले न्यायालय में तारीख 19.09.2019 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार R.A.S.)
भू-अभिलेख अधिकारी (S.D.O.),
(S.D.O.) बालोतरा बालोतरा

Scanned by CamScanner